



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245613
CG-DL-E-03052023-245613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1920]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1920]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2008(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2282 दिनांक 18.05.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 63.200 से कि.मी.92.811(सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), कन्नोद (म.प्र.)) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.05.2022" को "दैनिक भास्कर" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 63.200 से कि.मी.92.811(सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), कन्नोद (म.प्र.)) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: देवास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नोद				
	गांव का नाम: बिजवाड़				
1	11	निजी	सिंचित	0.1208	शैलेन्द्र पिता अवधेशप्रताप (11/1/1)
2	112	निजी	असिंचित	0.1	अशोक पिता बोंदर (112/4)
3	32	निजी	सिंचित	0.0974	रमेशचंद्र पिता पूरण (32/2)
4	33	निजी	सिंचित	0.3425	डालूसिंह पिता पूरण (33/2)
5	66	निजी	सिंचित	0.1	कमलसिंह पिता गुलाबसिंह (66/1)
6	66	निजी	सिंचित	0.02	कमल पिता गुलाबसिंह, दशरथ पिता गुलाबसिंह, मुलीबाई पिता गुलाबसिंह, सुक्कीया पिता गुलाबसिंह (66/2)
7	66	निजी	सिंचित	0.0728	दसरथ पिता गुलाबसिंह (66/3)
8	67	निजी	असिंचित	0.161	कमलसिंह पिता गुलाबसिंह (67/1)

9	67	निजी	असिंचित	0.12	कमल पिता गुलाबसिंह, दशरथ पिता गुलाबसिंह, मुलीबाई पिता गुलाबसिंह, सुक्कीया पिता गुलाबसिंह (67/2)
10	67	निजी	असिंचित	0.07	दसरथ पिता गुलाबसिंह (67/3)
11	9	निजी	सिंचित	0.3305	अरूनेन्द्र पिता अवधेशप्रताप (9/1)
12	9	निजी	सिंचित	0.07	शैलेन्द्र पिता अवधेशप्रताप (9/2)
	गांव का नाम: कलवार				
13	184	निजी	सिंचित	0.514	नसीम पिता मजीत खान (184/5)
14	197	निजी	सिंचित	0.6729	बालमकून्द पिता राधाकिशन (197/2/1)
15	214	निजी	सिंचित	0.24	सुशीलाबाई बेवा प्रह्लाद मालवीय, मोहन पिता प्रह्लाद मालवीय, ममताबाई पिता प्रह्लाद मालवीय, सपना पिता प्रह्लाद मालवीय, बलराम पिता प्रह्लाद मालवीय, ज्योति पिता प्रह्लाद मालवीय, अजय पिता प्रह्लाद मालवीय (214)
16	300	निजी	सिंचित	0.1825	श्वेता पत्नि घनश्याम (300/1)
17	300	निजी	सिंचित	0.1825	श्वेता पत्नि घनश्याम (300/2)
18	301	निजी	सिंचित	0.09395	वीणा पति महेश (301/1/1)
19	301	निजी	सिंचित	0.09395	वीणा पति महेश (301/1/2)
20	301	निजी	सिंचित	0.3	सीमा पति गोपाल (301/2/1)

21	301	निजी	सिंचित	0.3	सीमा पति गोपाल (301/2/2)
	गांव का नाम: कन्नोद				
22	596	निजी	सिंचित	1.15	अक्षय पिता पुरुषोत्तम (596/2/1/3)
23	596	निजी	सिंचित	0.1	पुरुषोत्तम पिता दत्तात्रय (596/2/1/1)
24	596	निजी	सिंचित	0.29	जितेन्द्र पिता राधेश्याम (596/2/1/2/2)
25	596	निजी	सिंचित	0.3	रोहित पिता पुरुषोत्तम (596/4/3/1/1)
26	596	निजी	सिंचित	0.37	रोहित पिता पुरुषोत्तम (596/4/3/1/2)
27	596	निजी	सिंचित	0.32	ब्रजमोहन पिता जगदीश प्रसाद (596/12)
28	596	निजी	सिंचित	0.23	लीलाबाई पति श्यामसून्दर (596/11)
29	596	निजी	सिंचित	0.15	प्रेमलता पति राजेन्द्र कुमार, रेखा पति रितेश (596/2/1/2/1/2)
30	596	निजी	सिंचित	0.08	सिद्धार्थ धनंजय पिता शिवानन्द जगदीश पिता विरम रामेश्वर पिता हिरालाल उज्ज्वला पति विनोद भूतड़ा विनोद पिता बाबुलाल भूतड़ा (596/4/2)
	गांव का नाम: पानीगांव				
31	1174	निजी	सिंचित	0.5099	मनोज कुमार पिता सेजमल (1174/2)
32	1174	निजी	सिंचित	0.08	दिलीप कुमार पिता सेजमल (1174/1)
33	1235	निजी	सिंचित	0.23	छितर पिता पुनमचंद (1235/1)

34	1235	निजी	सिंचित	0.05	रामनिवास पिता छीतर (1235/2)
35	1235	निजी	सिंचित	0.2	संतोष पिता छीतर (1235/3)
36	1235	निजी	सिंचित	0.1805	मनीबाई बेवा जगदीश, मुकेश, अशोक, विजेश पिता जगदीश (1235/4)
			कुल	8.4252	

[फा. सं. : NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D4]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2008(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2282 (E) Dated 18.05.2022 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH59A on the stretch of land from Km 63.200 to Km 92.811(Sub Divisional Officer (R), Kannod, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Times of India” both dated 24.05.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH59A in the stretch of land from Km 63.200 to Km 92.811 (Sub Divisional Officer (R), Kannod, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: DEWAS		
Sl. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kannod				
	Village: Bijwad				
1	11	Private	Irrigated	0.1208	Shailendra S/o Avdhesh Pratap 11/1/1
2	112	Private	Unirrigated	0.1	Ashok S/o Bondar 112/4
3	32	Private	Irrigated	0.0974	Ramesh chandra S/o Puran 32/2
4	33	Private	Irrigated	0.3425	Dalusingh S/o Puran 33/2
5	66	Private	Irrigated	0.1	Kamalsingh S/o Gulabsingh 66/1
6	66	Private	Irrigated	0.02	Kamal S/o Gulabsingh, Dashrath S/o Gulabsingh, Mulibai D/o Gulabsingh, Sukkiya D/o Gulabsingh 66/2
7	66	Private	Irrigated	0.0728	Dashrath S/o Gulabsingh 66/3
8	67	Private	unirrigated	0.161	Kamalsingh S/o Gulabsingh 67/1
9	67	Private	unirrigated	0.12	Kamal S/o Gulabsingh, Dashrath S/o Gulabsingh, Mulibai D/o Gulabsingh, Sukkiya D/o Gulabsingh 67/2
10	67	Private	unirrigated	0.07	Dashrath S/o Gulabsingh 67/3
11	9	Private	Irrigated	0.3305	Arunendra S/o Avdhesh Pratap 9/1
12	9	Private	Irrigated	0.07	Shailendra S/o Avdhesh Pratap 9/2
	Village: Kalwar				
13	184	Private	Irrigated	0.514	Naseem S/o Majit Khan 184/5
14	197	Private	Irrigated	0.6729	Balmukund S/o Radhakishan 197/2/1
15	214	Private	Irrigated	0.24	Sushilabai Widow Prahlad Malviya, Mohan S/o Prahlad Malviya, Mamtabai

					D/o Prahlad Malviya, Sapna D/o Prahlad Malviya, Balram S/o Prahlad Malviya, Jyoti D/o Prahlad Malviya, Ajay S/o Prahlad Malviya 214
16	300	Private	Irrigated	0.1825	Sweta W/o Ghanshyam 300/1
17	300	Private	Irrigated	0.1825	Sweta W/o Ghanshyam 300/2
18	301	Private	Irrigated	0.09395	Veena W/o Mahesh 301/1/1
19	301	Private	Irrigated	0.09395	Veena W/o Mahesh 301/1/2
20	301	Private	Irrigated	0.3	Seema W/o Gopal 301/2/1
21	301	Private	Irrigated	0.3	Seema W/o Gopal 301/2/2
	Village: Kannod				
22	596	Private	Irrigated	1.15	Akshay S/o Purushottam 596/2/1/3
23	596	Private	Irrigated	0.1	Purushottam S/o Dattatraya 596/2/1/1
24	596	Private	Irrigated	0.29	Jitendra S/o Radheshyam 596/2/1/2/2
25	596	Private	Irrigated	0.3	Rohit S/o Purushottam 596/4/3/1/1
26	596	Private	Irrigated	0.37	Rohit S/o Purushottam 596/4/3/1/2
27	596	Private	Irrigated	0.32	Brijmohan S/o Jagdish Prasad 596/12
28	596	Private	Irrigated	0.23	Leelabai W/o Shyamsundar 596/11
29	596	Private	Irrigated	0.15	Premlata W/o Rajendra Kumar, Rekha W/o Ritesh 596/2/1/2/1/2
30	596	Private	Irrigated	0.08	Sidhharth Dhananjay S/o Shivanand] Jagdish S/o Viram, Rameshwar S/o Heeralal Ujjwala W/o Vinod bhutda, vinod S/o babulala Bhutda 596/4/2
	Village: Panigaon				
31	1174	Private	Irrigated	0.5099	Manoj Kumar S/o Sejmal 1174/2
32	1174	Private	Irrigated	0.08	Dilip Kumar S/o Sejmal 1174/1
33	1235	Private	Irrigated	0.23	Chhitar S/o Punamchand 1235/1
34	1235	Private	Irrigated	0.05	Ramniwas S/o Chhitar 1235/2

35	1235	Private	Irrigated	0.2	Santosh S/o Chhitar 1235/3
36	1235	Private	Irrigated	0.1805	Manibai widow Jagdish, Mukesh, Ashok, Vijesh S/o Jagdish 1235/4
			TOTAL	8.4252	

[F. No. : NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D4]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.